

1. रिक्त पदों की संख्या 32 (प्रावधानिक)

(क) अनुसूचित जाति वर्ग के पुरुष	— 4 पद
(ख) अनुसूचित जाति की महिलाएँ	— 2 पद
(ग) पिछड़ा वर्ग की महिलाएँ	— 1 पद
(घ) पिछड़ा वर्ग के पुरुष	— 3 पद
(ङ) अनारक्षित वर्ग के पुरुष	— 15 पद
(च) अनारक्षित वर्ग की महिलाएँ	— 4 पद
(छ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष	— 2 पद
(ज) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएँ	— 1 पद



2. वेतनमान – वेतन स्तर / पे-लेवल:— 1 ।

3. शैक्षणिक योग्यता :- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल से दसवी कक्षा (मैट्रिक) उत्तीर्ण अथवा समकक्ष ।

4. आयु सीमा :- दिनांक— 01.08.2022 को :- न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष

(क) अनारक्षित वर्ग (पुरुष)— अधिकतम 37 वर्ष ।

(ख) अनारक्षित वर्ग (महिला) — अधिकतम 40 वर्ष ।

(ग) पिछड़ा वर्ग — अधिकतम 40 वर्ष ।

(घ) अनु0जाति / अनु0जन जाति — अधिकतम 42 वर्ष ।

5. उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु वही होगी जैसा कि राज्य सरकार(सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर, अवधारित की जाय। परन्तु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं. 8025 दिनांक 21.05.2013 के आधार पर, बिहार भवन एवं संलग्न कार्यालय मे कम से कम 5 वर्ष तक संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों को नियमित पद पर नियुक्ति हेतु द्धमतंहम होने की स्थिति में पूर्व से संपादित कार्य अवधि के समतुल्य छुट अधिकतम उम्र सीमा में अनुमान्य होगी ।

6. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या – 661 दिनांक – 03.09.2014 के आलोक में (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 8025 दिनांक 21.05.13 एवं अधिसूचना संख्या 12425 दिनांक 12.09.2016 के प्रावधानानुसार) बिहार भवन एवं संलग्न कार्यालय में कम से कम 5 वर्षों से संविदा पर कार्यरत कर्मियों को अन्य उम्मीदवारों के समान मेधा अंक होने की स्थिति में वरीयता दी जायेगी ।

7. उम्मीदवारों को स्वस्थ होना एवं साईकिल चलाने का ज्ञान होना आवश्यक होगा। महिला उम्मीदवार के मामले में साईकिल चलाने के ज्ञान से छुट रहेगी ।

8. आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र आदि की अभिप्रमाणित प्रतियों के साथ पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ एवं स्व-पता लिफाफा 32 /—(बत्तीस) रूपया पोस्टल टिकट के साथ संलग्न करना आवश्यक है ।

9. आवेदन पत्र मुख्य प्रशासी पदाधिकारी, बिहार भवन, 5, कौटिल्या मार्ग, चाणक्यापुरी, नई दिल्ली के पते पर दिनांक –30 / 12 / 2022 के अपराहन 5 बजे तक निश्चित रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। अधूरे अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा ।

10. आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के मूल निवासियों पर ही प्रभावी होगा ।

11. आवेदक को विहित प्रपत्र में टंकित कराकर आवेदन देना होगा जो <https://state.bihar.gov.in/csd/CitizenHome.html> वेबसाईड पर उपलब्ध है ।

12 स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली को किसी एक अथवा सभी आवेदनों को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधिसूचना संख्या 661 दिनांक 03.09.2014 के द्वारा प्रदत्त नियमावली बिहार भवन नई दिल्ली समूह घ सम्वर्ग भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2014 के आलोक मे न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने पर बिहार भवन एवं संलग्न कार्यालय मे कम से कम 5 वर्ष तक लगातार संविदा के आधार पर कार्य अनुभव प्राप्त कार्यरत कर्मियों को बिहार भवन में नियुक्ति हेतु आरक्षण कोटिवार पैनल में प्राथमिकता दी जा सकेगी ।

PR- 11187 (C S D) 2022-23

बिहार में शराब का व्यापार, बिक्री एवं सेवन अवैध है।

संबंधित शिकायत इस नंबर पर दर्ज करायें आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी।

टॉल फ्री नं- 15545 या 1800 345 6268